न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 39/2019 नामान्तरकरण अपील

1. गील्या राम पुत्र छुट्टन
2. लल्लूराम पुत्र छुट्टन
3. शान्ति पत्नि छुट्टन
4. बीना पुत्री रत्तीराम
5. लक्ष्मी पुत्री रत्तीराम
6. राजेन्द्र पुत्र रत्तीराम
7. जीतू पुत्र रत्तीराम
8. किशनी पत्नि रत्तीराम

समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम ठीकरिया तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. केशन्ती देवी पत्नि रामस्वरूप
2. भौती देवी पत्नि मुरारीलाल
   समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम ठीकरिया तहसील सिकराय जिला दौसा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिकराय तहसील सिकराय जिला दौसा।
4. उपपंजीयक सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट्स

(अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 623 दिनांक 18.02.2013 ग्राम ठीकरिया तहसील सिकराय तस्दीक द्वारा तहसीलदार सिकराय जिला दौसा)

उपस्थिति :–1. श्री निर्मल कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित।
2. श्री संजय कुमार शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 अनुपस्थित।
3. राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांकः–07.06.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि भूमि खसरा संख्या 969/28 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम रामा ठीकरिया तहसील सिकराय जिला दौसा में स्थित है। जिसके वर्तमान खसरा संख्या 31 रकबा 0.24 है., खसरा संख्या 32 रकबा 0.27 है. ग्राम रामा ठीकरिया तहसील सिकराय है। इस भूमि का आपसी सहमति से बंटवारा प्रशासन गांवो के संग अभियान में दिनांक 18.2.2013 को किया गया। जिसमे अपीलान्ट्स को भूमि खसरा संख्या 969/28 रकबा 0.18 बिस्वा तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को 977/28 रकबा 1 बीघा भूमि देकर आपसी सहमति से बंटवारा कर दिया गया। इसके पश्चात् जब इस भूमि का नामान्तरकरण संख्या 623 भरा गया तो रेस्पोडेन्ट की भूमि को खसरा संख्या 977/28 के स्थान पर खसरा संख्या 989/28 भूमि का अंकन कर दिया गया एवं खसरा संख्या 977/28 के स्थान पर खसरा संख्या 989/28 का नामान्तरकरण भर दिया गया। जिससे अपीलान्ट्स को भारी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

Web Copy - Not Official

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी एवं प्रकरण से सम्बन्धित मूल नामान्तरकरण अभिलेख तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट्स एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि ग्राम रामा ठीकरिया तहसील सिकराय में स्थित भूमि के वर्तमान खसरा संख्या 31 रकबा 0.24 है. एवं खसरा संख्या 32 रकबा 0.27 है. भूमि का आपसी सहमति से बंटवारा प्रशासन गांवो के संग अभियान में दिनांक 18.2.2013 को ठीकरिया कैम्प में किया जाकर अपीलान्ट्स को खसरा संख्या 969/28 रकबा 0.18 बिस्वा तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को 977/28 रकबा 1 बीघा भूमि आपसी सहमति से दी गई। आपसी सहमति से बंटवारा तो सही प्रकार से हो दोनो पक्षो की सन्तुष्टि से हो गया परन्तु आपसी सहमति से इस बंटवारे का नामान्तरकरण संख्या 623 भरा गया तो पटवारी हल्का द्वारा खसरा संख्या 977/28 के स्थान पर 989/28 दर्ज कर दिये। जिसकी वजह से अपीलान्ट्स को भारी परेशानियो का सामना करना पड रहा है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकन की वजह से सही प्रकार से अंकन राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में नहीं किया जा सकता है। अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 623 दिनांक 18.2.2013 ग्राम ठीकरिया तहसील सिकराय निरस्त फरमाया जाकर पुनः नये सिरे से नामान्तरकरण खोले जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 बहस के दौरान उपस्थित नहीं आये। राजकीय अधिवक्ता द्वारा जवाब बहस के दौरान निवेदन किया गया कि उक्त प्रश्नगत भूमि का तकास्मा का अवलोकन किये जाने पर तकास्मा में अंकितानुसार अपीलान्ट्स की भूमि के खसरा संख्या 969/28 नामान्तरकरण संख्या 623 में अंकित किये गये है। जो कि तकास्मे के अनुसार सही अंकित किये गये है। अन्य भूमि जो रेस्पोडेन्ट्स के हिस्से में आई है। उससे अपीलान्ट्स किसी भी प्रकार से प्रभावित नही है। खसरा संख्या 977/28 के स्थान पर 989/28 अंकित किये जाने से प्रभावित व्यक्ति द्वारा यह अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। अपीलान्ट्स पीडित पक्षकार नहीं होने से अपील किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने अधिवक्ता अपीलान्ट्स एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत नामान्तरकरण में तकास्मा के अनुसार खसरा नम्बर अंकित किये जाने में त्रुटि होना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 623 दिनांक 18.2.2013 ग्राम ठीकरिया तहसील सिकराय निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार सिकराय को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि के तकास्मा एवं तद्नुसार नामान्तरकरण से सम्बन्धित रिकॉर्ड का गौरपूर्वक अवलोकन कर एवं सम्बन्धित पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 07.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा